

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

: अधिसूचना :

अधि०सं०-०९/पद०-०५-०६/२०२४, सा०प्र०।५३५२ पटना-१५, दिनांक-२१.८., २०२६

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री नागेन्द्र मिश्र, वरीय प्रधान आप्त सचिव, (कोटि क्रमांक-३९/२०२६), राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना में प्रधान आप्त सचिव के रिक्त पद को उत्क्रमित करते हुए उक्त पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

२. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राज किशोर तिवारी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-०९/पद०-०५-०६/२०२४, सा०प्र०।५३५२ पटना-१५, दिनांक-२१.८., २०२६

प्रतिलिपि:- सचिव, उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग बिहार, पटना/निबंधक, राज्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्री नागेन्द्र मिश्र, वरीय प्रधान आप्त सचिव, (कोटि क्रमांक-३९/२०२६), राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना एवं आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।